**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या : 68/2011**
**अपीलांट**

उदाराम पुत्र सांवताराम जाति विश्नोई, निवासी कोटडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस्**

1. करनाराम पुत्र सांवताराम
2. मोहनलाल पुत्र सांवताराम
3. लादूराम पुत्र सांवताराम
4. भैराराम पुत्र सांवताराम
5. रिडमलराम पुत्र खीयाराम
6. उदाराम पुत्र नैनाराम
7. कैसा पुत्र नैनाराम
8. रतना पुत्र नैनाराम
9. सदराम पुत्र पूनमा
10. धूडाराम पुत्र पूनमा के कायम मुकाम
    10/1 रामेश्वरी पत्नी धूडाराम समस्त जातियान विश्नोई, निवासीगण कोटडा, तहसील रानीवाडा

11 सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा।

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मधुसुदन व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

**अपील संख्या : 64/2011**
**अपीलांट**

रिडमलराम पुत्र खीयारामजी जाति विश्नोई, निवासी कोटडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस्**

1. करनाराम पुत्र सांवताराम
2. मोहनलाल पुत्र सांवताराम
3. लादूराम पुत्र सांवताराम
4. भैराराम पुत्र सांवताराम
5. रिडमलराम पुत्र खीयाराम
6. उदाराम पुत्र नैनाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

7. कैसा पुत्र नैनाराम
8. रतना पुत्र नैनाराम
9. सदराम पुत्र पूनमा
10. धूडाराम पुत्र पूनमा के कायम मुकाम
    10/1 रामेश्वरी पत्नी धूडाराम समस्त जातियान विश्नोई, निवासीगण कोटडा, तहसील रानीवाडा

11 सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

1. श्री मधुसुदन व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06, 07 व 8/2 की ओर से।
3. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्य 09 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2005 बउनवान करनाराम वगैराह बनाम रिडमलराम वगैराह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम कोटडा के खसरा नंबर 20, 428, 429, 430, 447, 448, 449, 450, 460, 569, 570, 590, 592, 593, 594, 595, 596, एवं 597 की कुल रकबा 25.21 हैक्टर भूमि के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त सम्मन की तामिली होने के पश्चात सभी प्रतिवादीगण ने अपना अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जवाबदावा अलग–अलग प्रस्तुत किया, अपीलांट द्वारा अपना जवाबदावा अलग से पेश किया एवं साथ ही काउन्टर क्लेम भी पेश किया। दावा एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर वादी की शहादत में लादूराम ही पेश हुआ, लादूराम के बयान कलमबद्ध किये गये, उसके पश्चात प्रतिवादी की श्री श्हादत हुई। एवं दोनो पक्षो की शहादत के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2010 जारी की गई। उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार रानीवाडा को मौका विभाजन प्रस्ताव बनाने हेतु भेजा गया। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 25.10.2011 को विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में स्वंय तहसीलदार रानीवाडा को मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना था, किन्तु तहसीलदार रानीवाडा न तो स्वंय मौके पर गये, एवं न ही पक्षकारो को उक्त विभाजन की सूचना दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाया गया, उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट का रकबा कम कर दिया, जबकि रकबा कम करने का अधिकार तहसीलदार को नही है। जो बंटवाडा होता है तो जिसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा रखे जाने का प्रावधान है। किन्तु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम कोटडा के खसरा नंबर 20, 428, 429, 430, 447, 448, 449, 450, 460, 569, 570, 590, 592, 593, 594, 595, 596, एवं 597 की कुल रकबा 25.21 हैक्टर भूमि के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम कोटडा के खसरा नंबर 20, 428, 429, 430, 447, 448, 449, 450, 460, 569, 570, 590, 592, 593, 594, 595, 596, एवं 597 की कुल रकबा 25.21 हैक्टर भूमि के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2010 जारी की गई। उक्त निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

डिक्री की पालना में तहसीलदार रानीवाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया। उक्त मौका रिर्पोट में न ही तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने बाबत कोई कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस पर मात्र तहसीलदार के हस्ताक्षर है। जबकि विधि अनुसार पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया जाना था तथा पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2005 बउनवान करनाराम वगैराह बनाम रिडमलराम वगैराह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ सहायक कलक्टर रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। इस निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलीयों में नत्थी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली